

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 74/2016 (225 आरटीए) गफार वगै. बनाम मेहबूब

- 1 गफार पुत्र श्री भीखू खां,
- 2 श्रीमती कुसीदा पत्नी श्री जबरुदीन,
- 3 जबरुदीन पुत्र श्री भीखू खां के कायम मुकाम  
3/1 अब्बास पुत्र जबरुदीन,  
3/2 इस्लाउदीन पुत्र जबरुदीन,  
3/3 उमरदीन पुत्र जबरुदीन,
- 4 असलम पुत्र श्री निजामुदीन,
- 5 मुबारक पुत्र श्री निजामुदीन
- 6 अब्दुल रजाक पुत्र श्री भीखू खां,  
सभी जातियान मुसलमान लौहार, निवासीगण—ओसियां तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

..... अपीलान्ट

**बनाम**

- 1 मेहबूब पुत्र श्री भीखू खां जाति मुसलमान, (बुंदूकिया लौहार) निवासी ओसियां, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।
- 2 तहसीलदार ओसियां जिला जोधपुर।

..... रेस्पोजेण्ट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955  
विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां  
दिनांक 30.05.2016 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 94/2009

उपस्थित :

- 1 अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल।
- 2 रेस्पोजेण्ट सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी।
- 3 रेस्पोजेण्ट सं. 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

**निर्णय**

दिनांक : 16.03.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां के आदेश दिनांक 30.05.2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोजेण्ट सं. 1 द्वारा वाद अंतर्गत धारा

16/3


53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया तथा साथ में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम ओसियां के खेत खसरा नं. 1585/10 रकबा 10 बीघा रेस्पो. सं. 1 व अपीलांट्स सं. 1 व 2 की सहखातेदारी की भूमि है जिसमें रेस्पो. सं. 1 का 1/3 हिस्सा है। पक्षकारों के बीच सहमति से विभाजन नहीं हुआ है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट्स को दौराने वाद यथास्थिति बनाए रखने का निवेदन किया। अपीलांट्स की ओर से प्रार्थना पत्र का जबाब दिया गया पत्रावली वास्ते मौका रिपोर्ट हेतु दिनांक 17.05.2016 को मुकर्रर थी। इसी बीच पत्रावली दिनांक 30.05.2016 को लोकअदालत में लेते हुए वकील वादी की उपस्थिति में अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति व व बिना सहमति व सुनवाई के वादी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने का आदेश दिनांक 30.05.2016 को पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

- 3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पो. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
- 4 अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिंदुओं को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि पत्रावली मौका रिपोर्ट हेतु मुकर्रर थी तथा मौका रिपोर्ट आने से पूर्व ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलाधीन आदेश अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय व बिना सुनवाई के पारित किया गया है। वाद लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी सं. 3 जबरुद्दीन का देहांत हो गया था उसके कायम मुकाम की कार्यवाही किए बिना ही अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित कर दिया गया। उक्त सभी कारणों से अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया।
- 5 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में मौके पर विवाद होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं हैं। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।
- 6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।
- 7 प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन आदेश पत्रावली मौका रिपोर्ट हेतु मुकर्रर थी तथा मौका रिपोर्ट आने से पूर्व ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलाधीन आदेश अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय व बिना सुनवाई के पारित किया गया है। वाद लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी सं. 3

जबरदूदीन का देहांत हो गया था उसके कायम मुकाम की कार्यवाही किए बिना ही अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित कर दिया गया। उक्त सभी कारणों से अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

उक्त तथ्यों की पुष्टि के लिए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें पत्रावली मौका रिपोर्ट हेतु चल रही थी। दिनांक 30.05.2016 को अपीलाट्स की अनुपस्थिति में पत्रावली पर एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है व अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक तीन बिंदुओं पर विवेचन किए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। अतः इस न्यायालय की राय में अपीलाधीन आदेश का निरस्त कर प्रकरण को रिमाण्ड करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

- 8 अतः अपील अपीलाट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर व अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में निर्धारित तीन बिंदु यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णोपक्ष के बिंदुओं पर निष्कर्ष अंकित करते हुए पुनः आदेश पारित करे।

 16/3/18

(दाताराम)

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

- 9 निर्णय आज दिनांक 16.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

 16/3/18

(दाताराम)

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर